सं0–1476/XXVIII–5–2010–01/2005

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून: दिनांक 08 जनवरी, 2010

विषय– राज्य व्याधि निधि में धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–59/1/25/2009/45917 दिनांक 16.12.2009 एवं पत्र सं0–59/8/3/2009–10/44751 दिनांक 05.12.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के रोगियों को असाध्य एवं गम्भीर बिमारियों की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित विवरणानुसार रू0 21.50 लाख (रूपये इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि के पुनर्विनियोजन की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. धनराशि का व्यय राष्ट्रीय आरोग्य निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. अवमुक्त की गयी धनराशि का अग्रिम आहरण तभी आवश्यकता तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों को व्याधि निधि से धनराशि अग्रिम देना आवश्यक है। स्वीकृत अग्रिम का समायोजन नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0106–स्टेट मेडिकल सहायता समिति 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0–15 के कॉलम–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–709(P)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2009 दिनांक 07.01.2010 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–1476(1)/XXVIII–5–2010–01/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

(वित्तीय वर्ष 2009-10)

विभाग–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रपत्र –150

अनुदान संख्या–12

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

बी0एम0–15

पुनर्विनियोजन का आदेश पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अवमुक्तित व्यय	विगत वर्ष की इस अवधि में सम्पादित व्यय	अवशेष (अवमुक्त) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोजन के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1–5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 00–आयोजनागत 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 001–निदेशन तथा प्रशासन 05–चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन 42–अन्य व्यय 2500	–	150	2150(क)	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 01–केन्द्रीय आयोजनागत एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0102–स्टेट हैल्थ सोसाइटी समिति 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2150(ख)	3750	200	(क)–स्मार्ट कार्ड योजना अभी लागू न होने के कारण बचत उपलब्ध है। (ख)–उक्त अतिरिक्त आवश्यकता से धन होने के कारण रु0 21.50 लाख का पुनर्विनियोजन आवश्यक है।
योग 2500	–	350	2150	2150	3750	350	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय अनुभाग
संख्या– 709(P)/वित्त अनु0–3/2005
देहरादून दिनांक 07 जनवरी, 2010

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

एस0डी0 जोशी
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी)
देहरादून

संख्या–[illegible]/XXVIII–5–2010–01/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव